


करणीसिंह बनाम भंवरसिंह
अपील अर्न्तगत धारा 223, 225 आरटीए
मुकदमा नंबर 94/12
जीसीएमएस नंबर 2012/00024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
03-09-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण वर्ष 2012 से नोटिस तामील के अभाव में लम्बित चल रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 4, 6 ता 10, 13, 15, 17, 20 के खिलाफ पूर्व में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। शेष रेस्पोंडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु कई बार लिखा जा चुका है। पूर्व आदेशिका दिनांक 25-06-2025 व दिनांक 19-08-2025 दिनांक 28-08-2025 को वास्ते रजिस्टर्ड नोटिस पेश व जारी एवं रशीदे पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है किन्तु आदिनांक तक किसी भी आदेशिका की पालना अमल में नहीं लाई गई है इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट जैरकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी पर भी अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक स्वयं को रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगवाई गई लेकिन उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर</p>	

